एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड

विषय - सूची

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक-मंडल	1
2.	निदेशकों की रिपोर्ट 2009-10	2
3.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां	4
4.	2009-10 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	5
5.	31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र	8
6.	31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा	9
7.	नकदी प्रवाह विवरण	10
8.	2009-10 के लेखों का भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां	11

निदेशक-मंडल (18-11-2010 को)

श्री अरविन्द जाधव	अध्यक्ष
श्री ई. के. भारत भूषण	
श्री प्रशांत सुकुल	
एअर चीफ मार्शल फली एच. मेजर (सेवानिवृत्त)	

मुख्य प्रचालन अधिकारी

श्री के. एम. उम्मी

लेखापरीक्षक

मैसर्स एन. के. सेठ एण्ड कं.
सनदी लेखाकार, मुंबई

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

एयरलाइन्स हाउस
113 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड
नई दिल्ली - 110 001

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ कंपनी की छठी वार्षिक रिपोर्ट निदेशक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय निष्पादन :

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई व्यावसायिक संव्यवहार नहीं किए गए।

अन्य वित्तीय सूचना :

शेयर पूंजी :

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 10,00,00,000/- है। कंपनी की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 5,00,000/- (प्रत्येक रु. 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर) का नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा अंशदान किया गया है एवं प्रदत्त है।

विदेशी मुद्रा अर्जन :

चूंकि कंपनी ने कोई व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की हैं, अतः समीक्षाधीन अवधि के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन शून्य है।

प्रचालन :

मूल कंपनी, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक-मंडल ने 7 अगस्त, 2010 को हुई अपनी बैठक में एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड का प्रचालन आरंभ करने का अनुमोदन दिया है तथा बोर्ड के समक्ष व्यवसाय योजना, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

निदेशकों के उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी का निदेशक-मंडल निम्न की संपुष्टि करता है कि :

1. वार्षिक लेखों को तैयार करने में, प्रयोज्य लेखाकरण मानकों का अनुसरण किया गया है और वास्तविकता से विचलन नहीं हुआ है;
2. चुनी हुई लेखाकरण नीतियां सतत रूप से प्रयुक्त की गई हैं और निदेशकों ने वही निर्णय लिए एवं आकलन किए हैं, जो युक्तिसंगत एवं सही हैं, जिससे 31 मार्च, 2010 को कंपनी के कार्यों का सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ या हानि लेखे प्रस्तुत किए जा सकें;
3. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और उसका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गई है; और
4. वार्षिक लेखे सतत सरोकार के आधार पर तैयार किए गए हैं।

निदेशक-मंडल :

31 मार्च, 2010 को बोर्ड में निम्न सदस्य थे :

श्री अरविन्द जाधव — अध्यक्ष
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड

श्री ई. के. भारत भूषण
अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय

श्री प्रशांत सुकुल
संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय

श्री एन. वाघुल, 01 मार्च, 2010 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

एअर चीफ मार्शल फली एच. मेजर (सेवानिवृत्त), पूर्व वायु सेनाध्यक्ष, को 6 अप्रैल, 2010 से कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड, कंपनी के निदेशक के रूप में श्री एन. वाघुल द्वारा दी गई महत्वपूर्ण सेवाओं की सराहना करता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की चार बैठकें हुईं।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां :

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

लेखापरीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा मैसर्स एन. के. सेठ एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई को वर्ष 2009-10 के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन :

बोर्ड, नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं नागर विमानन मंत्रालय से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। बोर्ड, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, निगमित कार्य मंत्रालय और सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत विहित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अपने व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा विहित लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह उनकी तारीख 28 सितम्बर, 2010 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार किया हुआ बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा न करने का निर्णय लिया है। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत कोई टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

हस्ता. /–
सरित जफा
प्रधान निदेशक-वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं
पदेन **सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुंबई**

स्थान : मुंबई
तारीख : 25 अक्तूबर, 2010

एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के संलग्न तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर विचार प्रकट करना हमारी ज़िम्मेदारी है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा इस प्रकार योजनाबद्ध और कार्यबद्ध करें कि इस आशय का उचित आश्वासन मिल जाए कि वित्तीय विवरणों में कोई तथ्यपरक गलत विवरण नहीं है। लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों और खुलासों का समर्थन करने वाले प्रमाणों का परीक्षण करना शामिल है। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करने के साथ-साथ प्रस्तुत समग्र वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी जो राय व्यक्त की है, हमारी लेखापरीक्षा में उसका उचित आधार विद्यमान है।

कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 में अपेक्षित तथा कंपनी की लेखा-बहियों और रिकॉर्डों की यथोचित ऐसी जांच के आधार पर, जिसे हमने उपयुक्त समझा है और हमें लेखापरीक्षा के दौरान दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम अनुलग्नक में कंपनी को प्रयोज्य सीमा तक लागू उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण संलग्न कर रहे हैं।

अनुसूची "ग" के पैरा 5 में समाविष्ट लेखों पर टिप्पणियों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। जैसाकि वहां उल्लेख किया गया है, किसी भी आवर्त या प्राप्तियों के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 441(क) के अंतर्गत कंपनी उपकर का भुगतान करने या प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कंपनी पर धारा 441(क) लागू न होने के कारण, विचारार्थ वर्ष के लिए लेखापरीक्षक द्वारा धारा 277(3)(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग करना प्रयोज्य नहीं है।

उपर्युक्त संदर्भित अनुलग्नक में दी गई हमारी टिप्पणियों के क्रम में हम रिपोर्ट देते हैं कि :

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारी राय में, जहां तक इन लेखा-बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा-बहियां रखी हैं;

ग) इस रिपोर्ट में शामिल तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा एवं नकदी प्रवाह विवरण लेखा-बहियों से मेल खाते हैं;

घ) हमारी राय में, लाभ और हानि लेखा, तुलन-पत्र और नकदी प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में संदर्भित लेखाकरण मानकों का पालन करते हैं;

ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी द्वारा की गई पुष्टि के आधार पर, हम रिपोर्ट देते हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप धारा (1) के खंड (छ) के अनुसार किन्हीं भी निदेशकों को उन्हें निदेशक नियुक्त करने के लिए अयोग्य नहीं समझा गया है।

च) हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखों और उन पर दी गई अन्य टिप्पणियों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित जानकारी उसी प्रकार से अपेक्षित ढंग से देते हैं और सही एवं निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करते हैं :

1. तुलन-पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2010 को कंपनी के क्रियाकलापों की स्थिति का।
2. लाभ और हानि लेखे के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि का।
3. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का।

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(31 मार्च 2010 को **एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमिटेड** के लेखों पर सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित)

(1) कंपनी के पास कोई अचल परिसंपत्तियां नहीं हैं। अतः अचल परिसंपत्तियों से संबंधित खंड सं.4(i) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

(2) कंपनी कोई व्यापारिक अथवा उत्पादन गतिविधियां नहीं करती, अतः इन्वेंटरी से संबंधित कपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(ii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(3) (क) कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी से ऋण लिया है। कंपनी द्वारा लिए गए ऋणों से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(iii) के प्रावधानों के अनुसार यह राशि रु. 9,23,201/- है। ऐसे ऋण की ब्याज दर, निबंधन एवं शर्तें प्रथमदृष्ट्या कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से, कंपनी ने कोई रक्षित या अरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया है। अतः दिए गए ऋणों से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(4) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, अचल परिसंपत्तियों एवं अन्य गतिविधियों के क्रय के संबंध में आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रणाली, कंपनी के आकार एवं उसके कारोबार की प्रकृति को देखते हुए पर्याप्त है। लेखापरीक्षा के दौरान हमें आंतरिक नियंत्रण में प्रमुख कमियों को सुधारने के लिए कोई सतत विफलता नहीं दिखाई दी है।

(5) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया है, जिसकी प्रविष्टि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में करने की आवश्यकता हो। अतः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 में संदर्भित लेन-देन, संविदा एवं व्यवस्थाओं से संबंधित कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(6) कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए हैं।

(7) कंपनी के पास औपचारिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

(8) हमें सूचित किया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1)(घ) के अंतर्गत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है।

(9) (क) वर्ष के अंत में आयकर, संपत्ति कर, बिक्री कर, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क और उपकर के संबंध में कोई अविवादित राशियां उनके देय हो जाने की तारीख से छः माह से अधिक अवधि के लिए देय नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, बिक्री कर, आयकर, सीमाशुल्क, संपत्ति कर, उत्पादन शुल्क एवं उपकर की कोई राशि देय नहीं है, जिसे किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है।

(10) कंपनी को रु.9,34,231/- की संचित हानि हुई है, जो इसके 50 प्रतिशत निवल मूल्य से अधिक है। वर्ष के दौरान कंपनी को रु.20,473/- की नकद हानि हुई है। तथापि, ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में हानि रु.1,84,206/- थी।

(11) कंपनी ने वित्तीय संस्थान, बैंक अथवा डिबेंचर धारकों से कोई उधार नहीं लिया है। अतः बैंको के उधार की वापसी में चूक से संबंधीत कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(12) कंपनी ने शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हुए प्रतिभूतियों के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम स्वीकृत नहीं किए हैं।

(13) कंपनी, चिट फंड या निधि, म्युचुअल लाभ निधि/सोसाइटी नहीं है। अतः कंपनी (लेखापरीक्षको की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(14) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों अथवा अन्य निवेशों में संव्यवहार या सौदा नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(15) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी अन्य द्वारा बैंक या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण पर कंपनी ने कोई गारंटी नहीं दी है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(16) विचाराधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने कोई आवधिक ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xvi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(17) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन-पत्र की संपूर्ण जांच के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जमा की गई निधि को दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया है। स्थायी कार्यशील पूंजी के अलावा, अल्पकालिक परिसंपत्तियों के वित्तपोषण के लिए किसी दीर्घकालिक निधि का प्रयोग नहीं किया गया है।

(18) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल पार्टियों एवं कंपनियों को शेयरों का कोई अधिमान्य (प्रिफरेंशियल) आबंटन नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xviii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(19) कंपनी ने, वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए हैं तथा ऐसे कोई डिबेंचर विचाराधीन वर्ष के दौरान बकाया नहीं है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xix) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(20) कंपनी ने, विचाराधीन वर्ष के दौरान, कोई सार्वजनिक निर्गम जारी नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के खंड 4(xx) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(21) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान, कंपनी पर या कंपनी द्वारा धोखाधड़ी की कोई घटना न तो पाई गई है और न ही सूचित की गई है।

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
I. निधियों के स्रोत :			
शेयर धारकों की निधियां :			
शेयर पूंजी	क	**500,000**	500,000
ऋण निधि :			
अरक्षित ऋण (नैसिल से)		**923,201**	907,416
कुल		**1,423,201**	1,407,416
II. निधियों का अनुप्रयोग :			
चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम :			
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में		**500,000**	500,000
घटाएं : चालू देयताएं और प्रावधान		**11,030**	6,342
निवल चालू परिसंपत्तियां		**488,970**	493,658
आस्थगित कर परिसंपत्तियां			297,540
लाभ और हानि लेखा			
नामे शेष		**934,231**	616,218
कुल		**1,423,201**	1,407,416
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	ख		
लेखों पर टिप्पणियां	ग		

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लाभ और हानि लेखा

(राशि रुपए में)

विवरण	अनुसूची	2009-10	2008-09
आय :			
कुल आय		-	-
कुल		-	-
व्यय :			
आरओसी फाइलिंग शुल्क		5,000	5,000
लेखापरीक्षा शुल्क (सेवा कर सहित सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क)		11,030	6,342
व्यावसायिक प्रभार		4,443	3,924
बट्टे खाते में डाला गया प्रारंभिक व्यय		-	168,940
कुल		20,473	184,206
वर्ष का लाभ / (हानि)		**(20,473)**	(184,206)
मान्यताप्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (उत्क्रमित)		**(297,540)**	56,920
कर पश्चात लाभ / (हानि)		**(318,013)**	(127,286)
घटाएं : पिछले वर्ष का अग्रानीत शेष लाभ / (हानि)		**(616,218)**	(488,932)
तुलन-पत्र में अग्रेनीत लाभ / (हानि)		**(934,231)**	(616,218)
प्रति शेयर अर्जन / (हानि)		**(6.36)**	(2.55)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(राशि रुपए में)

विवरण	2009-10		2008-09
1. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लाभ और हानि लेखे के अनुसार कर पूर्व निवल लाभ / (हानि)	**(20,473)**		(184,206)
बट्टे खाते में डाले गए प्रारंभिक व्यय के लिए समायोजित	-		168,940
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ / (हानि)	**(20,473)**		(15,266)
चालू देयताओं के लिए समायोजित	**4,688**		724
प्रचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(15,785)**	(14,542)
2. निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-		-
3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
शेयर पूंजी जारी करने से उत्पन्न	-		-
प्रारंभिक व्यय	-		-
ऋण समायोजन	**15,785**		14,542
		15,785	14,542
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		-	-
नकदी और नकदी समानकों में निवल वृद्धि / (कमी)		-	-
नकदी / नकदी समानकों का प्रारंभिक शेष	**500,000**		500,000
नकदी / नकदी समानकों का अंतिम शेष	**500,000**		500,000

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक

तुलन-पत्र के भाग निर्मित करने वाली अनुसूचियां

अनुसूची - "क" : शेयर पूंजी :

(राशि रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
प्रत्येक रु. 10/- के 9,000,000 इक्विटी शेयर	**90,000,000**	90,000,000
प्रत्येक रु. 100/- के 100,000 अधिमान शेयर	**10,000,000**	10,000,000
कुल	**100,000,000**	100,000,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
प्रत्येक रु. 10/- के 50,000 इक्विटी शेयर (होल्डिंग कंपनी मैसर्स नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 प्रतिशत धारित)	**500,000**	500,000
कुल	**500,000**	500,000

अनुसूची - "ख" : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां :

1. **वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार :**

   ये वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अंतर्गत, सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। कंपनी, लेखाकरण की मर्केण्टाइल पद्धति का अनुसरण करती है।

2. **चालू और आस्थगित कर के लिए प्रावधान :**

   आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमत लाभों को ध्यान में रखने के बाद चालू कर के लिए प्रावधान किया जाता है। बही खाते और कर योग्य लाभ के बीच 'समय के अंतर' के परिणामस्वरूप कर दरों और तुलन-पत्र की तारीख पर अधिनियमित विधि का प्रयोग करके आस्थगित कर लेखाकृत किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति को भविष्य में वसूली की वास्तविक निश्चितता की सीमा तक मान्यता दी गई है और अग्रेनीत किया गया है।

3. **प्रारंभिक व्यय :**

   आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35घ के प्रावधानों के अनुसार, पांच वर्षों से अधिक के प्रारंभिक व्ययों को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

अनुसूची - "ग" : लेखों पर टिप्पणियां :

1. जहां कहीं आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित या पुनःव्यवस्थित किया गया है।

2. कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के पैरा 3 और 4 से संबंधित जानकारी कंपनी पर लागू नहीं होती है, क्योंकि कंपनी ने अपनी गतिविधियां आरंभ नहीं की हैं।

3. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ए.एस.-22 "आय पर कर के लिए लेखाकरण" के अनुसार, 31 मार्च, 2009 तक समय के अंतर के कारण आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल) रु. 2,97,540/- थीं। तथापि, भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियां वसूल की जा सकें, क्योंकि विश्वास दिलाने योग्य दस्तावेज़ी साक्ष्य की वास्तविक निश्चितता नहीं है, इसलिए आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वर्तमान वर्ष में उत्क्रमित किया गया है।

4. कंपनी को अपने प्रचालन अभी आरंभ करने हैं। लेखों को "सतत सरोकार" के आधार पर तैयार किया गया है।

5. कंपनी को अपने प्रचालन अभी आरंभ करने हैं। आवर्त या प्राप्तियों के अभाव में, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 44(क) के तहत किसी भी उपकर का भुगतान करने या प्रदान करने के लिए वह उत्तरदायी नहीं है।

6. **कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अंतर्गत यथा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना :**

क. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या	:	125114
राज्य कोड	:	55
तुलन-पत्र की तारीख	:	31-03-2010

ख. वर्ष के दौरान पूंजी में वृद्धि : रु. शून्य

ग. निधियों के संग्रहण और नियोजन की स्थिति : (हज़ार रुपए में)

कुल देयताएं	:	रु.1,423.20	कुल परिसंपत्तियां	:	रु.1,423.20
निधियों के स्रोत					
प्रदत्त पूंजी	:	रु. 500.00	आरक्षित निधियां और अधिशेष	:	-
रक्षित ऋण	:	-	अरक्षित ऋण	:	रु. 923.20
निधियों का अनुप्रयोग					
निवल अचल परिसंपत्तियां	:	-	निवेश	:	-
निवल चालू परिसंपत्तियां	:	रु. 488.97	विविध व्यय	:	-
आस्थगित कर परिसंपत्ति	:	-	संचित हानि	:	रु. 934.23

घ. कंपनी का निष्पादन :

आवर्त / आय	:	-	कुल व्यय	:	रु. 20.47
असाधारण मद और कराधान से पूर्व लाभ / (हानि)	:	रु.(20.47)	कर पूर्व लाभ / (हानि)	:	रु.(20.47)
कर के पश्चात लाभ / (हानि)	:	रु. (318.01)	प्रति शेयर अर्जन / (हानि)	:	रु.(6.36)

ङ. कंपनी के प्रमुख उत्पादों, सेवाओं के व्यापक नाम :

मद कोड	:	लागू नहीं
उत्पाद विवरण	:	लागू नहीं

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एन. के. सेठ एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./-
नरेश के. सेठ
प्रोप्राइटर
सदस्यता सं. 33698

स्थान : मुंबई
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

निदेशक-मंडल के लिए एवं उसकी ओर से

हस्ता./-
अरविन्द जाधव
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 28 सितम्बर, 2010

हस्ता./-
ई. के. भारत भूषण
निदेशक